

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगशानी 625-दो / 06

जिला - टीकमगढ़

स्थान कार्यवाही

कार्यवाही तथा आदेश

दिनांक

समय


हस्ताक्षर

दिनांक 6.5.14

समय दोपहर
12.00 बजे

आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक खरे एवं आवेदक श्री संजय सिंह
तमय श्री के0डी सिंह निवासी जेल रोड के पास टीकमगढ़ तहसील व
टीकमगढ़ म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।

समय दोपहर


सदस्य

3.00 बजे

प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत ।

शाम 5.00 बजे


आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक खरे एवं आवेदक श्री संजय सिंह
तमय श्री के0डी सिंह निवासी जेल रोड के पास टीकमगढ़ तहसील व
टीकमगढ़ म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।


सदस्य

प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत ।

आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक खरे एवं आवेदक श्री संजय सिंह
तमय श्री के0डी सिंह निवासी जेल रोड के पास टीकमगढ़ तहसील व
टीकमगढ़ म0प्र0 को आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं ।

अतः म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत
प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण
प्रकरण नगम पैरवी में खारिज किया जाता है ।


(अशोक शिवहरे)

सदस्य